XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 3470–एक/14

जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–6–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 951–पीबीआर/07 में पारित आदेश दिनांक 20–8–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश एवं उभयपक्षों द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर, छिंदवाड़ा को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी काफी समय पूर्व हो चुकी थी, इसका उल्लेख उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन के साथ अवधि विधान की धारा 5 का जो आवेदन पेश किया गया है, उसमें भी किया है और यह कहा है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 15–2–10 को कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष आवेदन के साथ इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.8.08 की प्रति पेश की गई थी । जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और आदेश के 6 वर्ष बाद यह पुनरावलोकन आवेदन पेश किया गया है जो प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य है । विलंब के संबंध में दिन प्रति दिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है, जो इस प्रकरण में नहीं दिया गया है । विलंब के संबंध में जो कारण आवेदक की ओर से दिए गए हैं वे प्रथमदृष्टया समाधानकारक प्रतीत नहीं होते हैं । वैसे भी निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी.	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार/ अभिभाषक हस्ताक्षर
	2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

रिव्यू - 3470 - I 14

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा– कलेक्टर छिन्दवाड़ा ..... आवेदक

विरूद्ध

1. विवेक कुमार जैन पुत्र प्रवीण कुमार जैन
निवासी गोलगंज, छिन्दवाड़ा म0प्र0
2. वीरेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज सतीजा
निवासी गोलगंज, छिन्दवाड़ा म0प्र0
3. प्रफुल्ल कुमार पुत्र प्रबोध चंद जैन
निवासी गोलगंज, छिन्दवाड़ा म0प्र0
4. विधि कुमार पुत्र प्रसुन्न कुमार जैन
निवासी गोलगंज, छिन्दवाड़ा म0प्र0
5. नरेन्द्र कुमार पुत्र जयशंकर साहू
निवासी गोलगंज, छिन्दवाड़ा म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....00.....

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता वास्ते पुर्नविलोकन किये जाने बाबत् ।

.....00.....

आवेदक आपके न्यायालय का प्रकरण क्रमांक निग0 951/पीबीआर/07 पक्षकार विवेक कुमार जैन वगैरह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 20 अगस्त 2008 में म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुर्नविलोकन निम्न आधारो पर किये जाने हेतु निवेदन है–

1. यह कि, न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 24/अ–20(4)/99–2000 दिनांक 16.06.2000 को पारित आदेश में भू–धारक विवेक कुमार पिता प्रवीण कुमार जैन एवं अन्य 4 के नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों में भू–धारको को कृषि हेतु प्रदाय की गई भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने से पट्टो के शर्तो का उल्लंघन होने के कारण म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुर्नविलोकन किया जाकर नवीनीकरण राजस्व प्रकरण क्रमांक 372/अ–20(4)/98–99 में पारित आदेश दिनांक 17.08.99 , राजस्व प्रकरण क्रमांक 373/अ–20(4)/98–99 में पारित आदेश दिनांक 17.08.99 , राजस्व प्रकरण क्रमांक 374/अ–20(4)/98–99 में पारित आदेश दिनांक 31.08.99 , राजस्व प्रकरण क्रमांक 375/अ–20(4)/98–99 में पारित आदेश दिनांक 31.08.99 , राजस्व प्रकरण

कलेक्टर
छिन्दवाड़ा